



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या: 9249/2024

आशीष कुमार उर्फ शेष

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – दिनेश कुमार शर्मा, अरशद हफीज़ खान, ईशान गर्ग, प्राची आर्य

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया। यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी द्वारा थाना- देवा, जिला- बाराबंकी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 417/202, अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रार्थी के कब्जे से 270 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, जो कि व्यावसायिक मात्रा से थोड़ा ही अधिक है, यद्यपि बरामदगी स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि बरामदगी के समय कोई राजपत्रित अधिकारी उपस्थित नहीं था। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'आरिफ खान उर्फ आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य, (2018) 18 एससीसी 380' के वाद में दिए गए निर्णय का आश्रय लिया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि तलाशी और बरामदगी के संबंध में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, पाया गया कथित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिबंधित पदार्थ हेरोइन था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रार्थी का कई मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जिसे जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दायर शपथ पत्र के प्रस्तर 15 और प्रार्थी की ओर से दायर पूरक शपथपत्र के पैरा 3 में सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है। प्रार्थी दिनांक 21.06.2024 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रार्थी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या साक्षियों को डराएगा-धमकाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी वचन देता है कि जमानत दिए जाने की स्थिति में वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 'मोहम्मद मुस्लिम बनाम दिल्ली राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 352' के मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास जताया, जिसमें माननीय न्यायालय ने निम्नवत टिप्पणी की है:

"13. जब विधि के प्रावधान किसी अभियुक्त के जमानत प्राप्त करने के अधिकार में कटौती करते हैं और तदनुसार न्यायिक विवेक को प्रतिबंधित करते हैं (जैसे कि वर्तमान वाद में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37), तो इस न्यायालय ने दो प्रतिस्पर्धी मूल्यों, अर्थात् निर्दोषता की उपधारणा के आधार पर अभियुक्त की स्वतंत्रता के अधिकार और सामाजिक हित के सामंजस्य के लिए उन्हें बरकरार रखा है... साथ ही, उन्हें इस शर्त पर बरकरार रखा गया है कि विचारण तत्परतापूर्वक संपन्न हो..."

"21. धारा 436 क की अनिवार्यता के दृष्टिगत विचारण में अनुचित विलंब के आधार पर जमानत प्रदान करने को अधिनियम की धारा 37 द्वारा बाधित नहीं माना जा सकता है, जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर भी लागू होती है..." "इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि इस वाद के तथ्यों में, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का पात्र है।"

22. समापन से पूर्व, यह विचार करना महत्वपूर्ण होगा कि जमानत देने के लिए कठोर शर्तें आरोपित करने वाली विधियाँ जनहित में आवश्यक हो सकती हैं; फिर भी, यदि विचारण समय पर समाप्त नहीं होते हैं, तो व्यक्ति पर होने वाला अन्याय अतुलनीय है। जेलें खचाखच भरी हुई हैं और उनकी रहने की स्थिति प्रायः दयनीय होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद को दिए गए उत्तर के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने 31

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिसंबर 2021 तक दर्ज किया था कि देश में जेलों की कुल क्षमता 4,25,069 लाख के मुकाबले 5,54,034 से अधिक कैदी जेलों में बंद थे। इनमें से 122,852 दोषी थे; शेष 4,27,165 विचाराधीन कैदी थे।

23. अन्यायपूर्ण कारावास का खतरा यह है कि कैदी "कारावास" के जोखिम में होते हैं, एक ऐसा शब्द जिसे केरल उच्च न्यायालय ने दोषसिद्ध कैदी बनाम राज्य 21 मामले में "एक मौलिक परिवर्तन" के रूप में वर्णित किया है, जिसके तहत कैदी: "अपनी पहचान खो देता है। उसे एक संख्या से जाना जाता है। वह अपनी निजी संपत्ति खो देता है। उसके कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रह जाते। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, संपत्ति, गरिमा और व्यक्तिगत जीवन की स्वायत्तता की क्षति से मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जेल में कैदी-संस्कृति भयावह हो जाती है। कैदी सामान्य मानकों के अनुसार शत्रुतापूर्ण हो जाता है। आत्म-धारणा बदल जाती है।"

24. एक और खतरा कैदी के अपराध की ओर उन्मुख होने का है, "क्योंकि अपराध न केवल प्रशंसनीय हो जाता है, बल्कि अपराध जितना अधिक पेशेवर होता है, अपराधी को उतना ही अधिक सम्मान मिलता है।" 22 (डोनाल्ड क्रेमर की 'द प्रिजन कम्युनिटी' भी देखें, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी²³)। कारावास के और भी हानिकारक प्रभाव होते हैं – विशेषकर जब आरोपी सर्वाधिक कमजोर आर्थिक वर्ग से हो: आजीविका की तत्काल क्षति, कई मामलों में परिवारों का बिखराव, पारिवारिक संबंधों का बिखराव और समाज से अलगाव। इसलिए, अदालतों को इन पक्षों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए (क्योंकि दोषमुक्ति होने की स्थिति में, आरोपी को होने वाली क्षति अपूरणीय होती है), और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विचारण – विशेष रूप से उन मामलों में जहां विशेष विधियों द्वारा कठोर प्रावधान लागू होते हैं – तत्परतापूर्वक प्रारंभ और समाप्त किए जाएं।"

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मान मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1868' के वाद में दिए गए निर्णय का भी आश्रय लिया, जिसमें माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर जमानत प्रदान की थी कि वे कारावास में लगभग 2 वर्ष की अवधि काट चुके थे और निकट भविष्य में विचारण संपन्न होने की संभावना नहीं थी। अतः, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पदार्थ अधिनियम में जमानत प्रदान करने के लिए, अभियुक्त को धारा 37 में वर्णित दोहरी शर्तों की बाधा को पार करना होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह व्यवस्था दी है कि इन शर्तों में ढील दी जा सकती है यदि अभियुक्त ने कारावास की पर्याप्त अवधि काट ली है और विचारण के निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को त्वरित विचारण का अधिकार है जिसका स्रोत भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि प्रार्थी उक्त अपराध करने में संलिप्त था, अतः वह किसी भी अनुतोष का पात्र नहीं है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के बाद, यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी दिनांक 22.06.2024 से जेल में निरुद्ध है; अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रार्थी के कब्जे से 270 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, जो व्यावसायिक मात्रा से थोड़ा ही अधिक है, यद्यपि कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र सार्वजनिक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है; ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि प्रार्थी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या साक्षियों को डराएगा-धमकाएगा; प्रार्थी के आपराधिक इतिहास को उचित रूप से स्पष्ट किया गया है और साथ ही उसने यह वचन भी दिया है कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 में निहित दोहरी शर्तें संतुष्ट होती प्रतीत होती हैं; आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश के दृष्टिगत और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त वाद पाता हूँ।

तदनुसार, यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त अपराध में संलिप्त प्रार्थी **आशीष कुमार उर्फ शेष** को उपरोक्त अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या अन्यथा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है;

3. प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (i) विचारण प्रारंभ होने (ii) आरोप विरचित होने और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा;

4. यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्धोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के बाद में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां मात्र इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक सीमित हैं और वाद के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

24 मार्च, 2026

शुक्ला